फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री अभिषेक जयपाल निवासी गांव कुराबाद उदयपुर जिला उदयपुर

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला कोषाधिकारी राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 61/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी जिला कोषाधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला कोषाधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी जिला कोषाधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— कोष/आरटीआई/2025/50 दिनांक 08.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित दिनांक 11.05.25 आनलाईन क्रमांक 244819631751072 का इस कार्यालय हाजा को दिनांक 11.05.2025 को सूचना का अधिकार, अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर लोक सूचना अधिकारी (विकास अधिकारी) पंचायत समिति राजसमंद से संबंधित होना ज्ञात हुआ। कार्यालय हाजा के पत्रांक एफ( )/कोष/आरटीआई/2025/919 दिनांक 29.07.25 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(।)(।।) के तहत उक्त प्रार्थना का अन्तरण लोक सूचना अधिकारी (विकास अधिकारी) पंचायत समिति राजसमन्द को कर दिया गया। श्रीमान से निवेदन हैं कि संबंधित कार्मिक को आरटीआई पोर्टल का तकनीकी ज्ञान नहीं होने से उक्त प्रार्थना का ऑनलाईन समय पर करना संभव नहीं हुआ जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का अन्तरण लोक सूचना अधिकारी (विकास अधिकारी) पंचायत समिति राजसमन्द को नहीं किया जा सका। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि उक्त नोटिस प्रथम अपील को लोक सूचना अधिकारी कोष कार्यालय राजसमन्द से निरस्त करवाने का श्रम करावें। लोक सूचना अधिकारी जिला कोषाधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी जिला कोषाधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी (विकास अधिकारी) पंचायत समिति राजसमंद से होने के कारण कार्यालय	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

हाजा के पत्रांक एफ( )/कोष/आरटीआई/2025/919 दिनांक 29.07.25 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत उक्त प्रार्थना का अन्तरण लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द को कर दिया गया।

अतः उक्त प्रकरण को निर्णित किया जाता है साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति राजसमंद से होने से नियमानुसार आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी जिला कोषाधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)